भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1041
दिनांक 04 दिसम्बर, 2024/ 13 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

एनडीआरएफ के माध्यम से सहायता राशि जारी करने में लगातार देरी होना

1041 श्री तिरुची शिवा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) की रिपोर्ट प्राप्त होने के एक महीने के भीतर आपदा राहत निधि जारी करने के दिशा-निर्देशों के बावजूद ऐसा करने में बार-बार देरी होने के क्या कारण हैं;
(ख) क्या राज्यों को निधि जारी किए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने और उसे सुव्यवस्थित करने के लिए कोई उपाय किए जाने पर विचार किया जा रहा है; और
(ग) क्या मंत्रालय इस तथ्य के मद्देनजर कि राज्य अक्सर आपदाओं में प्राथमिक प्रतिक्रियाकर्ता होते हैं, स्थानीय जरुरतों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए एसडीआरएफ से निधि के प्रबंधन में राज्यों को अधिक विवेकाधिकार देने पर विचार कर रहा है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें बाढ़ और भूस्खलन सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भारत सरकार (जीओआई) की अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही अपने पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालांकि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा

<u>दिनांक 04.12.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 1041</u>

की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है न कि मुआवजे के लिए।

19.08.2019 से पहले, गंभीर आपदा से प्रभावित राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने के बाद आईएमसीटी की नियुक्ति की जाती थी। इस मंत्रालय ने 19.08.2019 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि गंभीर प्रकृति की किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद, राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना, राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए तुरंत आईएमसीटी की नियुक्ति की जाए, ताकि हुए नुकसान का प्रत्यक्ष आकलन हो सके और राज्य प्रशासन द्वारा राहत कार्य किए जा सकें। यदि आवश्यक हो, तो आईएमसीटी नुकसान और किए गए राहत कार्यों के विस्तृत आकलन के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करने के बाद राज्य का फिर से दौरा करेगी। राज्य सरकार से औपचारिक ज्ञापन प्राप्त होने के बाद आईएमसीटी अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। आईएमसीटी की रिपोर्ट पर एनडीआरएफ दिशानिर्देशों में परिकल्पित स्थापित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है।

राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) का आवंटन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत समय-समय पर गठित क्रमिक वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। इसके अलावा, एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से धन का वितरण एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से सहायता के दिशा-निर्देशों और मदों और मानदंडों द्वारा नियंत्रित होता है, जिन्हें राज्यों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से तैयार किया जाता है और गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://ndmindia.mha.gov.in/ndmi/viewUploadedDocument?uid=NEW2132 और https://ndmindia.mha.gov.in/ndmi/viewUploadedDocument?uid=NEW2180 पर क्रमशः उपलब्ध हैं। राज्यों को इन दिशा-निर्देशों के अनुसार आपदाओं के दौरान प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने की स्वतंत्रता है।

इसके अलावा, जैसा कि एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित है, राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एसडीआरएफ के वार्षिक आवंटन का 10% तक उपयोग कर सकती हैं, जिन्हें वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में आपदा मानते हैं और जो आपदाओं की अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं।

*****